न्या० - श्रीमान् उपखंड अधिकारी महोदय बसवा
प्रकरण :- बाबूलाल बनाम प्रहलाद वगै०
प्रारम्भिक प्र० अस्थायी निषेधाज्ञा प्र० सं० - 22/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियाल्स जज | नम्बर व ता... जो इस हु... में... |
|---|---|---|
| 25/4/24 | पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से Adv. गोविन्द शर्मा व मनोज मिश्रा द्वारा वकालतनामा पेश किया, जवाब हिदायत दी गई, पत्रावली आ.ता. 2-5-24 को पेश हो। | |
| 2/5/24 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में 1 से 4 की ओर से जवाब पेश करने हेतु आ.ता. 9-5-24 को पेश हो। Adv. गोविन्द सहाय शर्मा व मनोज मिश्रा द्वारा उत्तर, लिखने पर जवाब पेश किया, वास्ते बहस दिनांक 9-5-24 को पेश हो। | |
| 9/5/24 | पत्रावली पेश हुई। T.I. प्रा.पत्र पर बहस हेतु पत्रावली आ.ता. 16-5-24 को पेश हो। | |
| 16/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वास्ते आदेश TI हेतु आ.ता. 22-5-24 को पेश हो। | |
| 22/5/24 | पत्रावली पेश हुई। TI आदेश के संबंध में विस्तृत निर्णय TI पृथक से लिखा जाकर, शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। | |

सहायक कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
## जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–22 / 2024
प्रकरण रज्जु दिनांक :– 18.03.2024
निर्णय दिनांक :– 22.5.2024

### प्रकरण अंतर्गत अरथाई निषेधाज्ञा धारा 212
### प्रकरण का उनवान

बाबूलाल पुत्र रामकुंवार जाति मीना निवासी बाडाला की ढाणी, कांकड मूही, तहसील–बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थी)

### बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रामकुंवार जाति मीना निवासी बाडाला की ढाणी, कांकड मूही तह.बसवा जिला–दौसा
2. श्रीमती ज्योति उर्फ गुड्डी पुत्री प्रहलाद पत्नी लालाराम मीना निवासी चगनपुरा, लालसोट रोड वाया बडपाडा तह.लालसोट जिला–दौसा
3. श्रीमती प्रगति पुत्री प्रहलाद पत्नी रामराज मीना निवासी ढोलावास, लालसोट रोड, तहसील राहूवास जिला–दौसा
4. श्रीमती बच्ची देवी पत्नी प्रहलाद जाति मीना निवासी बाडाला की ढाणी, कांकड मूही तहसील–बसवा जिला–दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तह.बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थीगण)

### –: निर्णय वास्ते अस्थाई नि. आदेश के संबंध में:–

दिनांक :– 22.5.2024

---

पत्रावली पेश हुई । एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2024 को वास्ते अरथाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी बाबूलाल पुत्र रामकुंवार जाति मीना निवासी बाडाला की ढाणी, कांकड मूही तह.बसवा द्वारा जरिये एडवाकेट श्री सुशील कुमार गुर्जर एवं नवीन कुमार गुर्जर के द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रहलाद पुत्र रामकुंवार जाति मीना निवासी बाडाला की ढाणी, कांकड मूही, तह.बसवा वगैरह के विरूद्ध इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मूही तहसील बसवा स्थित खाता संख्या नया 11 पुराना 12 के आराजी खसरा नंबर 198, 199, 200, 208, 209, 225 लगायत 236, 238, 239, 242, 243 / 2183, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 / 2184, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 281, 283, 327 / 2204, 328, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 350 कुल खसरा नंबर 51 कुल रकबा 9.70 हैक्टयर भूमि मुतदाविया है । उक्त भूमि मुतदाविया में प्रार्थी / वादी एवं अप्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1, 5 लगायत 14 सहखातेदार हैं एवं अप्रार्थीगण .सं[illegible] 3 अप्रार्थी सं. 1 की पुत्रियां व अप्रार्थी संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी है । भूमि मुतदाविया का आपसी बंटवारा किया हुआ है किंतु विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । अप्रार्थी 1 के कोई पुत्र संतान [illegible] विधिवत तकास्में के ही बेचान करने पर आमादा है, प्रार्थी अपने हिस्से [illegible] है, अप्रार्थी सं. 1 से दिनांक 10.3.2024 को बाद तकास्मा विक्रय हेतु आग्रह करने पर वह नाराज हो गया एवं गाली गलोच करने लग गया । लिहाजा वादकरण उत्पन्न हुआ है अतः प्रार्थी को वर्णित भूमि का हिस्सा 1 / 9 में भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त वादी सरस–नरस मीट्स एवं बाउण्ड्स के हिसाब से रास्ते की सुविधा अनुसार कायम करते हुए रास्ते की सुविधा का अनुसार कायम करते हुए विधिवत रूप से तकास्मा किया जावे साथ ही पृथक से पर्चा कायम किया जावे । एवं उक्त कार्यवाही होने तक वर्णित भूमि की मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम अरथाई निषेधाज्ञा जारी की जावे । लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

न्यायालय हाजा द्वारा ग्राम मूही तहसील बसवा स्थित खाता संख्या नया 11 पुराना 12 के आराजी खसरा नंबर 198, 199, 200, 208, 209, 225 लगायत 236, 238, 239, 242, 243/2183, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/2184, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 281, 283, 327/2204, 328, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 350 कुल खसरा नंबर 51 कुल रकवा 9.70 हैक्टयर भूमि का मौका एवं रिकोर्ड की स्थिति यथावत कायम रखी जाने हेतु अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.3.2024 को जारी की गई ।

न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधज्ञा प्रा.पत्र के संबंध में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के साथ–साथ संबंधित प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रकरण में अप्रार्थीगण के ओर से एडवोकेट श्री गोविन्द गुरू और मनोज मिश्रा उपस्थित आए । न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब पेश किया गया । प्रस्तुत जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा मूलतः यह जवाब प्रस्तुत किया कि वर्णित एवं विवादित भूमि राजस्व अभिलेख से संबंधित होने से स्वीकार है, प्रश्नगत भूमि में अप्रार्थी सं. 01 प्रहलाद का हिस्सा 1/9, दावे के प्रतिवादी सं. 5 ओमप्रकाश का हिस्सा 2/15, दावे के प्रतिवादी संख्या 6 कजोड का हिस्सा 1/6, दावे के प्रतिवादी सं. 7 धौली का हिस्सा 1/30, दावे के प्रतिवादी सं. 8 प्रियंका का हिस्सा 1/36, दावे के प्रतिवादी सं. 10 रामफूल का हिस्सा 1/6, दावे के प्रतिवादी सं. 11, 12, 13 राहुल, शाली व संगीता प्रत्येक का पृथक–पृथक 1/36 – 1/36 हिस्सा राजस्व अभिलेख में अंकित है, उसी के अनुसार अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से व बाहमी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । बिन्दु संख्या 5 के अनुसार यह तथ्य सही है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र संतान नहीं है, परंतु प्रहलाद के पत्नी बच्ची देवी व 2 पुत्रियां ज्योति व गुड्डी होना स्वीकार है । प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.3.2024 को विवादित भूमि का तकास्मा करवाने हेतु कहने का तथ्य अस्वीकार है । अप्रार्थी द्वारा न तो भूमि विकय की धमकी दी गई ना ही रहन बय का करार किसी व्यक्ति से किया है । बिन्दु संख्या 6 के अनुसार अप्रार्थीगण ने अंकन किया है कि अप्रार्थीगण वाहमी वंटवारे के अनुसार काबिज काश्त व रहवास यथा मकानात व बाडे निर्मित कर रिहायश का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं । ऐसी स्थिति में व्यादेश प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रार्थी को नहीं है एवं साथ ही प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है । लिहाजा प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे ।

आज दिनांक को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई । प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रभावी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को बरकरार रखने के लिये पुरजोर बजस की एवं प्रभावी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को उपयुक्त एवं उचित बताया, जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रभावी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने के लिये में पुरजोर बहस की ।

प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्नांकित साइटेशन/रूलिंग्स पेश की गई :–

1- Board of Revenue for Rajasthan Ajmer (Citation 2021 (2) DNJ (Rev) 997 Mishro Devi vs Shubhash Decision 4-8-2021
2- Board of Revenue for Rajasthan Ajmer (Citation 2021 (1) DNJ (Rev) 30 Sohanlal vs Pema Ram Decision [illegible]-12-2020
3- Board of Revenue for Rajasthan Ajmer (Citation 2022 (1) DNJ (Rev)624 Hindustan Machine Tools Ltd vs Ramdev & Ors Decision 23-2-2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा बहस की गई :–

1. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र संतान नहीं है, जिसको प्रार्थी द्वारा उसके प्रा.पत्र में भी अंकित किया है, पुत्र संतान एवं धन–बल विहिन होने के कारण, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में कोई

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

बोलने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी बेवजह एवं बेजा परेशान करने की नियत से इस अंतरिम असथाई निषेधाज्ञा के आधार पर, अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसकी पत्नी अप्रार्थी संख्या 4 को मौके से बेदखल करने पर आमादा हैं । यदि प्रभावी अंतरिम असथाई निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थी संख्या 1 व 4 को मौके से बेदखल कर दिया गया, तो उन्हें असीमित नुकसान होगा एवं वादकरण की लंबी प्रक्रिया आरंभ हो जावेगी । जिससे अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के साथ – साथ उनकी विवाहिता पुत्रियां यथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की हक हकूको को भी असीम हानि की पूर्ण संभावना है ।

2. अप्रार्थीगण के एडवोकेट्स द्वारा यह बिन्दु भी दौरान बहस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभी अप्रार्थी संख्या 1 जीवित है, एवं राजस्व अभिलेख अनुसार संबंधित विवादित आराजी का वह उसके हिस्से अनुसार खातेदार व काश्तकार है, किंतु प्रार्थी पक्ष द्वारा बेवजह व परेशान करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 के परिजनों, जिनका नाम ही खातेदारी में नहीं है, उनको परेशान व हैरान व नुकसान करने की नियत से, अप्रार्थी संख्या 2 से 4 बनाया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 न तो विवादित आराजी में खातेदार हैं एवं न ही सहखातेदार ।

3. अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा बहस में यह बिन्दु उठाया की क्या 21 वीं सदी में भारत के कुछ लोग जैसे प्रार्थी, आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पुत्र न होकर, केवल पुत्रियां ही हों, तो उन्हें लाचार व मजबूर करके, गांव व खेती बाडी छोडकर, अन्यत्र Migrate होने के लिये, बेवजह वादकरण में उलझाकर, मजबूर कर दिया जावे, ताकि प्रार्थी जैसे धनबल एवं भुजबल रखने वाले लोग उनकी भूमि पर विधिविरूद्ध तरीके से कब्जा काश्त करने में सफल हो जावें ।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तानगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों एवं बहस पर मनन किया गया । प्रस्तुत नजीर एवं बहस के उपरांत हम वर्तमान में प्रभावी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करने अथवा स्थाई करने के लिये महत्वपूर्ण बिन्दुओं का निर्धारण किया गया ।

**1. सुविधा का संतुलनः–** प्रार्थी पक्ष का कथन व अंकन है कि ग्राम मूही तहसील बसवा स्थित खाता संख्या नया 11 पुराना 12 के आराजी खसरा नंबर 198, 199, 200, 208, 209, 225 लगायत 236, 238, 239, 242, 243/2183, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/2184, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 281, 283, 327/2204, 328, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 350 कुल खसरा नंबर 51 कुल रकबा 9.70 हैक्टयर भूमि मुतदाविया पर नाजायज कब्जा करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रयासरत है । जबकि अप्रार्थी पक्ष द्वारा अस्थाई नि. प्रा.पत्र के विरूद्ध इस्तदुआ की है कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा उनके जवाब व बहस में न्यायालय हाजा को अवगत कराया है कि वे न तो विवादित आराजी को विक्रय करने का कोई विचार रखते हैं एवं न ही उनसे प्रार्थी द्वारा कभी इस भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने हेतु कहा गया है ।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा निरूपित जवाब व बहस से यह बिन्दु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पक्ष में कायम होता है । लिहाजा ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन अप्रार्थीपक्ष के पक्ष में कायम किया जाता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:05 IST
Reason: Self Attested

**2. अपूरणीय क्षति का सिद्धांत :–** संपूर्ण प्रकरण के आद्योपांत अध्ययन व बहस से यह तथ्य बखूबी साबित करता है कि अप्रार्थीगण उनके बा[illegible]ी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त के साथ–साथ रहवास एवं बाडे तामीर कर, अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं और प्रकरण में किसी तनाव या उज्र के संबंध में, कभी कोई पुलिस कार्यवाही अमल में आई हो, ऐसा कोई दस्तावेज, प्रार्थी पक्ष द्वारा ना तो पेश किया है एवं न ही बहस में उद्वरित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में अभिनिर्धारित किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

3\. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रकरण के गहन अध्ययन के उपरांत यह पूर्णतया निश्चयन हो जाता है कि संपूर्ण प्रकरण का गहराई से अध्ययन करने के उपरांत स्पष्ट है कि वर्णित भूमि का कोई करार/बयनामा मूल अथवा छाया प्रति, जो कि यह इंगित करे कि अप्रार्थी संख्या 1 (जो की सहखातेदार है), भी पेश नहीं की गई है, जिससे प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र के इस बिन्दु संख्या 6 के अनुसार कि "प्रार्थी को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा भूमि वादग्रस्त में स्थित उनके हिस्से की भूमि को बेचने के प्रयास के बारे में जानकारी हुई" को साबित कर सके ।

अतः उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस पर मनन एवं बिन्दुवार समीक्षा के उपरांत प्रकरण में यथास्थिति को आगे ले जाना अथवा स्थाई किया जाना उचित व विधिक प्रतीत नहीं होती है ।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है । अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.3.2024 को आज दिनांक 22.5.2024 को खारिज किया जाता है ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.01 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested